






<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए</p>
<p>18/3/21</p>	<p>वकूलाय उप0। अपार्थी लें. 1, 2 व 4 की ओर से वकील श्री अशोक प्रकाश प्रणिजा राज पैरो दार उप0। पत्रावली मूल मुत्तदिल पत्रावली के साथ दिनांक 8/3/21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  जज, नगौर </p>	
<p>8/3/21</p>	<p>वकूलाय ने पूर्व राज्यपाल श्रीमान अशोक सिंह जी का स्वर्णाल हो जाने से -याचिका कार्यवाही में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया है। पत्रावली मूल मुत्तदिल प्रार्थना पत्र पत्रावली के साथ दिनांक 25/3/21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  जज, नगौर </p>	
<p>25-3-21</p>	<p>वकूलाय उप0। पत्रावली मूल अपार्थी मुत्तदिल प्रार्थना पत्र पत्रावली के साथ 4 दिनांक 1-4-21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  जज, नगौर </p>	
<p>1-4-21</p>	<p>वकूलाय उप0। हस्तगत स्वयं प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल मुत्तदिल प्रार्थना पत्र फैसल हो जाने से अब इस स्वयं प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रहने के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह स्वयं प्रार्थना पत्र रवारिज किया जाता है। आदेश सुनाया। पत्रावली फैसल शुभार होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">  जज, नगौर (डा० जितेंद्र कुमार सोनी) </p>	<p style="text-align: right;">  </p>